सा पिस्तात्त
11/7/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल जिला – नागौर

भू.अ./प्राथमिक डिकी/2022/4327 दिनांक : 7-7-2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल।

विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि आपके न्यायालय से जारी प्राथमिक जस्व वाद संख्या 157/2021 का विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस में जमा हुआ। अत इस पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की ादर प्रेषित है।

न विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

प्राथमिक डिक्री तामील एवं मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 4.7.22 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल राजस्व वाद सं० 157/2021 प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 14.12.2021 तथा श्रीमान तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक र.का./प्राथमिक डिक्री/2022/2491 दि० 23.3.2022 की पालना में [illegible] कालवी के खसरा सं० 15 रकबा 1.1169 हेक्ट., खसरा सं० 27 रकबा 2.4524 हेक्ट., खसरा सं० [illegible] रकबा 2.1853 हेक्ट. किता-3 कुल रकबा 5.7546 हेक्ट. का प्राथमिक डिक्री अनुसार निम्न अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया —

1) चैनाराम पुत्र बोदूराम जाति मेघवाल सा० कालवी

खसरा सं०	रकबा	किता	साईड
27	2.4524	बा.3	सम्पूर्ण
15	0.4856	बा.3	पूर्वी
②	2.9380		

2) भंगूराम पुत्र बोदूराम जाति मेघवाल सा० कालवी

खसरा सं०	रकबा	किता	साईड
3	2.1853	बा.2	सम्पूर्ण
15	0.6313	बा.3	पश्चिमी
②	2.8166		

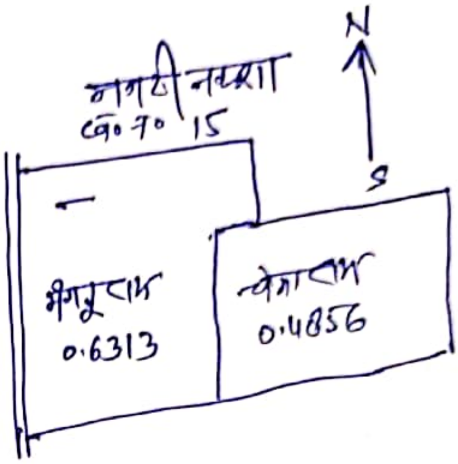

उपरोक्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों पढ़कर सुनाया गया, प्रस्तावित नजरी नक्शा (बंटवारा) दिखाया गया। एवं प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये।

निशानी अंगूठा बोदूराम

Dinesh 04/07/2022 पटवारी

भू अभिलेख निरीक्षक 4/7/22

रामचन्द्र डिडेल
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

भंगूराम

चैनाराम

कल्याण गिरि

बोदूराम

राजस्व वाद 157/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/303
चैनाराम बनाम् मंगतूराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 157/2021

वादीगण–
1. चैनाराम पुत्र बोदूराम
   जाति–मेघवाल, निवासी–कालवी, तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. मंगतूराम पुत्र बोदूराम
2. भंवरी देवी पुत्री बोदूराम
3. कमली देवी पुत्री बोदूराम
4. नेनी देवी पुत्री बोदूराम
5. गणपति देवी पुत्री बोदूराम
6. बोदूराम पुत्र रामूराम
   जातियान–मेघवाल, निवासीगण–कालवी, तहसील जायल, जिला–नागौर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–
1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/07/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा कालवी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 15 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रतिवादी संख्या 6 श्री बोदुराम जी की जाईन्दा संताने है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद के पैरा संख्या 2 व 5 के (1 से 3) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी चेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 हैक्टैयर में से 0.4856 हैक्टैयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मंगतूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 हैक्टैयर में से 0.6313 हैक्टैयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि

14/07/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नही रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 17.09.2021 को जरिये अधिवक्ता वकालतनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने की। वकालतनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं का सम्मन स्वंय तामिल होकर अप्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में वकालतनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह चैनाराम पुत्र बोदूराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम कालवी तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 147 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये वकालतनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वकालतनामा एवं वादपत्र में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के हक बंट की भूमि का जरिये वकालतनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक वकालतनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत वकालतनामा दिनांक 17.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 17.09.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा कालवी के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा कालवी के खेत खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर, वादी चैनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, प्रतिवादी मंगतूराम के हक बंट कब्जा काश्त में यथावत सम्पूर्ण रखे गये हैं तथा खेत खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य चाहा गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 27, 3, 15 की भूमि का माफिक सहमति अनुसार बंट चाहा है जिसमें मौजा कालवी तहसील जायल के खेत खसरा नं. 15 जो पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 15 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 14.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4327 दिनांक 7.7.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी मंगतुराम ,चेनाराम, बोदुराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान कल्याणसिंह व छोटुराम तथा भू.अभि. निरीक्षक लूणसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। आराजी खसरान् में मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्यों कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः मौजा कालवी के खेत खसरा नं. 15 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 बोदुराम पुत्र रामुराम के साथ सहखातेदार घोषित कर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 157/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/303
चैनाराम बनाम् मंगतूराम वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कालवी के खेत खसरा नं. 15 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 बोदुराम पुत्र रामुराम के साथ सहखातेदार घोषित कर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी चेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 हैक्टैयर में से 0.4856 हैक्टैयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मंगतूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 हैक्टैयर में से 0. 6313 हैक्टैयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादीगण का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 157/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/303
चैनाराम बनाम् मंगतूराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 157/2021

वादीगण–

1. चेनाराम पुत्र बोदूराम, जाति–मेघवाल, निवारी–कालवी, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मंगतूराम पुत्र बोदूराम
2. भंवरी देवी पुत्री बोदूराम
3. कमली देवी पुत्री बोदूराम
4. नेनी देवी पुत्री बोदूराम
5. गणपति देवी पुत्री बोदूराम
6. बोदूराम पुत्र रामूराम, जातियान–मेघवाल, निवासीगण–कालवी, तहसील जायल।
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कालवी के खेत खसरा नं. 15 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 बोदुराम पुत्र रामुराम के साथ सहखातेदार घोषित कर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी चेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 27 रकबा 2.4524 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 हैक्टैयर में से 0.4856 हैक्टैयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

14/07/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादी संख्या 1 मंगतूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कालवी का खेत खसरा नंबर 3 रकबा 2.1853 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 15 रकबा 1.1169 हैक्टेयर में से 0.6313 हैक्टैयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गई है। इसलिये प्रतिवादीगण का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/07/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)